

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261505 CG-DL-E-07032025-261505

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/फाल्गुन 16, 1946
No. 130]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/PHALGUNA 16, 1946

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025

सं. 16/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 164(अ).—िवत्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 और वित्त अधिनियम 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पिठत सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा: -

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.		उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 21घ के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "5%" प्रतिस्थापित की जाएगी;

1618 GI/2025 (1)

2.	11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:- (1) (2) "5क. लेनटिल्स (मसूर)।";
3.	11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021, सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (4) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "5%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
4.	49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्तूबर, 2021, सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना 8 मार्च, 2025 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/40/2025-टीआरयू] दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

नोट:

- 1. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 20 फरवरी, 2025 जिसे सा.का.िन.141 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 को सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2025 जिसे सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- 3. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 01 फरवरी, 2021 को सा.का.िन. 69(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 13 फरवरी, 2025 जिसे सा.का.िन. 136 (अ), दिनांक 13 फरवरी, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।
- 4. प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 13 सितम्बर, 2024 जिसे सा.का.नि. 573 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2025

No. 16/2025-Customs

G.S.R. 164(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021) and section 110 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	50/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 785 (E), dated the 30 th June, 2017	In the said notification, in the TABLE, against S. No. 21D, in column (4), for the entry, the entry "5%" shall be substituted;
2.	11/2018-Customs, dated the 2 nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 114(E), dated the 2 nd February, 2018	In the said notification, in the TABLE, after Sl. No. 5 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries shall be inserted, namely: - (1) (2) "5A. Lentils (Mosur) covered under 0713 40 00.";
3.	11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021	In the said notification, in the Table, against S. No. 5, in column (4), for the entry, the entry "5%" shall be substituted;
4.	49/2021-Customs, dated the 13 th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), <i>vide</i> number G.S.R. 734(E), dated the 13 th October, 2021	In the said notification, in the Table, S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from 8th March, 2025.

[F. No. 190354/40/2025-TRU] DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 15/2025-Customs, dated the 20th February, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 141(E), dated the 20th February, 2025.

- 2. The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and last amended *vide* notification No. 07/2025-Customs, dated the 1st February, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 100(E), dated the 1st February, 2025.
- 3. The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021, and was last amended *vide* notification No. 14/2025-Customs, dated the 13th February, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 136(E), dated the 13th February, 2025.
- 4. The principal notification No. 49/2021-Customs, dated the 13th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 13th October, 2021, and was last amended *vide* notification No. 43/2024-Customs, dated the 13th September, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 573(E),

अधिसूचना नई दिल्ली, 7 मार्च, 2025

सं. 17/2025-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 165(अ).— वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 7 दिसम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. 884(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (4) में, शब्द और अक्षर "28 फरवरी, 2025" के स्थान पर, शब्द और अक्षर " 31 मई, 2025" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/40/2025-टीआरयू] दिलमिल सिंह सोच. अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को सा.का.िन. 884(अ), दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 49/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 जिसे सा.का.िन. 782 (अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2025

No. 17/2025-Customs

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 64/2023-Customs, dated the 7th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 884(E)., dated the 7th December, 2023, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in Column (4), for the words and figures "28th day of February, 2025", the words and figures "31st day of May, 2025" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 190354/40/2025-TRU] DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.

Note: The principal notification No. 64/2023-Customs, dated the 07th December, 2023, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 884(E), dated the 07th December, 2023, and was last amended *vide* notification No. 49/2024-Customs, dated the 26th December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 782(E), dated the 26th December, 2024.